

आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती में न्याय की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरना

अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और तकनीकी त्रुटियों का आरोप लगाया

जयपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती में कथित अनियमितताओं के विरोध में मंगलवार को बड़ी संख्या में होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टरों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और तकनीकी त्रुटियों का आरोप लगाते हुए सरकार से निष्पक्ष समाधान की मांग उठाई। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय की शरण भी ली जाएगी। साथ ही प्रदेशभर में जिला स्तर पर भी विरोध-प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।



होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टरों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना-प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होने के कारण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं हो सकी

का कठिनाई स्तर समान रखना संभव नहीं होगा। इसके बावजूद एक ही चयन प्रणाली लागू की गई, जिससे कई योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि

परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होने के कारण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू नहीं हो सकी। वहीं विभिन्न पद्धतियों में विभाग-अलग प्रश्न हटाए जाने से करीब 6 प्रतिशत तक अंकों का असंतुलन पैदा

हो गया, जिससे हजारों होम्योपैथी और यूनानी अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष समीक्षा कर पद्धतवार बदलाव लागू किया जाए। ताकि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

योजना के चौथे चरण में राजस्थान को मिली 1216 सड़कें

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सशक्त गांव, विकसित भारत' के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के गांवों को आमन्त्रित एवं विकसित बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ग्रामीण परिदृश्य में बढ़ा बदलाव लाने की इस कड़ी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी एक सशक्त माध्यम बन रही है।

केन्द्र सरकार ने इस योजना के चौथे चरण (पीएमजीएसवाई-चतुर्थ) के तहत वर्ष 2024-25 से 2028-

तीसरे चरण में प्रदेश में बनी 8 हजार 584 किलोमीटर की 912 सुदृढ़ सड़कें, मार्च 2028 तक बढ़ी योजना की अवधि

29 के दौरान देशभर में 62 हजार 500 किलोमीटर सड़क निर्माण के लक्ष्य के साथ कुल 70 हजार 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस चरण में 2011 की जनसंख्या के मानदंडों के

आधार पर अलग-थलग पड़ोसी ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा, जो अभी तक सड़क संपर्क से वंचित थी। इसमें विशेष श्रेय के क्षेत्रों - जनजातीय (पांचवीं अनुसूची) क्षेत्र, आकांक्षी जिले-ब्लॉक और मरुस्थलीय क्षेत्र पर फोकस रखा गया है। राजस्थान के मरुस्थलीय और दूरस्थ गांवों को भी चतुर्थ चरण में बड़ी सीमागत मिली है। चौथे चरण में देशभर में अब तक स्वीकृत 4 हजार 795 सड़कों में से प्रदेश को 1 हजार 216 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जो संख्या

की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। इसमें 15 हजार 401 किलोमीटर सड़क में से 3 हजार 219 किलोमीटर लम्बी सड़कें राजस्थान के लिए स्वीकृत हुई हैं और इस मामले में राजस्थान जम्मू-कश्मीर के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश के लिए 2 हजार करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में लगभग 8 हजार 584 किलोमीटर की 912 सड़कों के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

बदनामी के डर से सरकार ने दबाई नीट पेपर लीक की बात : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने परीक्षा रद्द होने और इसकी जांच को सौंप जाने के बाद भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। जूली ने कहा कि परीक्षा का रद्द होना इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है कि इस पूरे प्रकरण में संगठित स्तर पर बेहद गंभीर और गहरी घंघली हुई है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 22-23 लाख मेहनती विद्यार्थियों के सपनों और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।

जूली ने कहा कि इस मामले का महत्वपूर्ण पहलु यह है कि अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद जैसा की जानकारी मिल रही है, मामलों की गंभीरता को नहीं समझा गया और फिर इसे दबाने की कोशिशें हुईं, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई लेकिन अब परीक्षा कराने वाली संस्था ने पेपर लीक के कारण इसे रद्द कर दिया है तो साफ है कि भाजपा सरकार ने कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। जूली ने आंकड़ों के साथ प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा के 10 वर्षों के शासन में अब तक 89 पेपर लीक हो चुके हैं, जो भाजपा की कार्यशैली की कड़वी सच्चाई को

'पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज न करना गैर जिम्मेदाराना हरकत' भाजपा के 10 वर्षों के शासन में अब तक 89 पेपर लीक हो चुके हैं

उजागर करता है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर चुनाव और मंच से भाजपा बड़े-बड़े वादे करती है और सख्त कार्रवाई के खोखले दावे करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत यह है कि भाजपा सरकार युवाओं की मेहनत और उनके समय की चिंता जलाकर उस पर अपनी सियासत की रोटियां सेक रही है। पेपर लीक अब भाजपा की पहचान बन चुका है।

नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा चिंताजनक और शर्मनाक बात यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने सच्चाई को उजागर

कर दोषियों पर नकेल कसने के बजाय, पूरे मामले को रफा-दफा करने और दबाने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपनी बदनामी के डर से और अपनी छवि को चमकना हुआ दिखाने के लिए सरकार ने दो हफ्तों तक लाखों युवाओं के भविष्य को दंभ पर लगाए रखा। यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह भाजपा की सुनिश्चित गैर-जिम्मेदारी और युवाओं के प्रति उनकी संवेदनहीनता का जीता-जागता प्रमाण है। जूली ने आगे कहा कि पहले भी शीर्ष में हुई गड़बड़ियों के मामलों में इसी तरह सच्चाई को दफन करने की कोशिश की गई थी।

इससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता देश का युवा, न्याय या पारदर्शिता नहीं है, बल्कि केवल और केवल अपना फेस सेविंग है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक इस संगठित अपराध के असली आकाओं को वेनकाब नहीं किया जाता और छात्रों को न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक युवाओं की आवाज बुलंद करती रहेगी।

हाईकोर्ट में मोबाइल रिकार्डिंग की सुनवाई हुई

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में अदालती कार्रवाई को मोबाइल में रिकार्डिंग करने को गंभीर मानते हुए ऐसा करने वाले व्यक्ति का मोबाइल जब्त कर लिया। वहीं अशोक नार थाना पुलिस को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले में प्रार्थी कमल राठौड़ व रिकार्डिंग करने वाले उसके ड्राइवर अनिल सुमन को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यह मामला एक्टिंग सीजे के समक्ष रखा जाए, ताकि इन याचिकाओं को मौजूदा बेंच के अलावा किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने यह निर्देश कमल राठौड़ की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में की गई अवमानना ऐसी प्रकृति की है जो न्याय की प्रक्रिया में दखल करती है। सुनवाई की रिकार्डिंग अवमानना है, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया में दखल के साथ ही न्यायालय की गरिमा को भी कम करती है। दरअसल आपराधिक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने देखा कि एक व्यक्ति बिना मंजूरी के अदालती

एसआई भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एसआई भर्ती: 2021 पेपर लीक के मास्टर माइंड जगदीश विश्नोई को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करवाने के मामले में जगदीश विश्नोई को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार को उस एसएलपी पर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के 16 जनवरी 2026 के उसे जमानत देने वाले आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। एसएलपी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय एवं एंजली शिव मंगल शर्मा ने कहा कि जगदीश विश्नोई 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े संगठित पेपर लीक रैकेट का एक प्रमुख मास्टरमाइंड एवं किंगपिन रहा था। राजस्थान एटीएस एवं एसओजी की गई

आरोपी 2008 से ही ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है, उसके खिलाफ समान प्रकृति के 13 अन्य आपराधिक केस दर्ज हैं

जांच के अनुसार, आरोपी ने अन्य सह-आरोपियों एवं सेंटर सुपरिटेण्डेंट राजेश खंडेलवाल के साथ मिलकर व्हाट्सएप के जरिए 10 लाख रूपए में गोपनीय पेपर पहले से प्राप्त किए, उन्हें हल करवाया और बाद में भारी धनराशि लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। जिन 25 अभ्यर्थियों को लीक पेपर मुहैया कराए गए थे, उनका भी भर्ती में चयन

हुआ है। जांच के दौरान आरोपी से एक अकाउंट डायरी बरामद हुई, जिसमें अभ्यर्थियों एवं घन लेन-देन का विवरण दर्ज था।

एफएएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि डायरी में लिखावट जगदीश विश्नोई की थी। आरोपी 2008 से ही ऐसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ समान प्रकृति के 13 अन्य आपराधिक केस दर्ज हैं। राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में 3 मार्च 2024 को पुलिस थाना एटीएस एवं एसओजी में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420 एवं 120-बी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत दर्ज की गई थी।

टीम ने दूध की गुणवत्ता जांचकर लिए सैंपल

जयपुर। राज्य सरकार के शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत मंगलवार को जयपुर द्वितीय क्षेत्र में दूध के विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण और नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। यह अभियान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश तथा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त भगवत सिंह के सुपरविजन में चलया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने चाकसू, कोथुन, बाड़ा पदमपुरा और शिवदासपुरा क्षेत्र में विभिन्न दुध संकलन केंद्रों और वीपीएमसी फार्मस का निरीक्षण किया। दूध के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। लैब से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पांडुलिपियाँ पर पांच दिवसीय पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में मंथन

हरिद्वार/जयपुर। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख पहल 'ज्ञानभारतम मिशन' के अंतर्गत 'पांडुलिपियों का निवारण एवं संरक्षण' विषय पर पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन,

पांडुलिपियाँ मानव गतिविधियों का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करती हैं : ज्ञानभारतम मिशन

हरिद्वार में किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य भारत की विशाल एवं अप्रमूल्य पांडुलिपि विरासत का संरक्षण, दस्तावेजीकरण तथा डिजिटलीकरण करना है, ताकि यह प्राचीन ज्ञान-संपदा भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। कार्यशाला का आयोजन पांडुलिपि संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा संरक्षण एवं भंडारण



'पांडुलिपियों का निवारण एवं संरक्षण' विषय पर पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ।

संबंधी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों, विशेषज्ञों तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत साहित्य, माला एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर किया गया।

पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के

उपाध्यक्ष डॉ. अनुपम श्रीवास्तव ने 'पत्तरी' की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह किसी विशेष क्षेत्र अथवा कारखंड में पाए जाने वाले पौधों का व्यवस्थित वैज्ञानिक विवरण होता है, जो पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का वैज्ञानिक दस्तावेज जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

35 हजार से अधिक प्रकरणों की सुनवाई हुई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व एवं नगरीय विकास विभाग के मंत्री ज्ञावर सिंह खरों के निर्देशन में जयपुर नगरिका प्राधिकरण (जेडीए) गुलाबी बगरी जयपुर के सुनिश्चित विकास के साथ-साथ आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए निरंतर सक्रिय है। वर्ष 2026 के दौरान जनवरी से मई माह तक जेडीए द्वारा दैनिक जनसुनवाई करते हुए अब तक लगभग 35 हजार से अधिक प्रकरणों की सुनवाई कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार जनवरी माह में 8,59 फरवरी माह में 8,587 प्रकरणों की सुनवाई की गई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मार्च में 6,686 वहीं अप्रैल माह में 7,837 मामलों की सुनवाई की गई। मई माह में अब तक लगभग 3,026 परिवारों की सुनवाई की गई है जिनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता, और समयबद्धता के साथ स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।

सार-समाचार

ज्वैलरी शॉप से सवा तीन लाख का सोना लेकर बदमाश फरार

जयपुर। झोटवाड़ा थाना इलाके में लता सर्किल स्थित एक ज्वैलरी शॉप पर दिनदहाड़े चोरी की वारदात से व्यापारियों में दहशत फैल गई। ग्राहक बनकर आए एक शांतिर युवक ने दुकानदार को बातों में उलझाकर करीब 3.25 लाख रूपए कीमत का पक्का सोना चोरी कर लिया और फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस के अनुसार गणपति ज्वैलर्स के संचालक शंकर सोनी ने बताया कि 10 मई को दोपहर करीब 1:38 बजे एक युवक दुकान पर आया और पहले चांदी का ताबीज खरीदा। इसके बाद उसने सोने का भाव पूछते हुए 100 मिलीग्राम पक्का सोना दिखाते की बात कही। दुकानदार जब उसे सोना दिखा रहा था, तभी आरोपी ने कान की बालियां देखने की मांग की। दुकानदार के नीचे झुकते ही आरोपी ने हाथ की सफाई दिखाते हुए पक्के सोने से भरी डिब्बी गायब कर दी। बताया जा रहा है कि डिब्बी में करीब 20 ग्राम वजन के 4 से 5 सोने के टुकड़े रखे थे, जिनकी कीमत लगभग सवा तीन लाख रूपए है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। फुटेज में आरोपी की गतिविधियां स्पष्ट नजर आई हैं, जिसके आधार पर उसकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों ने बाजारों में बढ़ती चोरी की वारदातों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

कर्मचारी महासंघ की प्रवेश स्तरीय बैठक 18 मई को

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की एक महत्वपूर्ण प्रदेश स्तरीय बैठक आगामी 18 मई 2026 को जयपुर स्थित गवर्नमेंट प्रेस कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी मांगों पर अपनाए जा रहे उदासीन रवये के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ और प्रदेश महामंत्री मोहन लाल शर्मा ने संयुक्त बयान में बताया कि वर्तमान में योजना में आ रही समस्याओं और समर्पित अवकाश (सैंडरड लीव) के भुगतान पर लगी अधोषिक्त रोक से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में कर्मचारी महासंघ (एकीकृत) के आव्हान पर पूरे प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांधकर 'को विसंगतियों तथा समर्पित अवकाश के भुगतान न होने को लेकर कड़ा विरोध जताया जा चुका है। महामंत्री मोहनलाल शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा के अनुसार दोषद्वितीयों के आदेश जारी करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने हेतु अनुभव में दो वर्ष की छूट के आदेश जारी करने, टेका कार्मिकों के लिए का गठन करने सहित महासंघ (एकीकृत) के लंबित 25 सूत्रीय मांगपत्र पर आज दिनांक तक कोई सकारात्मक वाता नहीं होने पर 2026 में कर्मचारियों संगठनों की लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेना सरकार की कर्मचारी विरोधी मंशा को दर्शाता है।

संविधे हालत में महिला की मौत

जयपुर। मुरलीपुरा थाना इलाके की जीवन दीप कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही 30 वर्षीय महिला की संविधे परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मकान से दुर्घटने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जहाँ महिला का शव पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में शव करीब दो दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर मृतका की पहचान टोंक जिले के बरौनी निवासी अंबिका के रूप में की। थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने बताया कि अंबिका फरवरी माह में अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर मूलस्थान गुर्जर के साथ चली गई थी। इसके बाद दोनों ने 3 मई को मुरलीपुरा क्रम में किराए का मकान लिया था। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट पर रामकल्याण गुर्जर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

नाले में मिला व्यक्ति का शव

जयपुर। शास्त्री नगर थाना इलाके में मंगलवार शाम राणा कॉलोनी और व्यास कॉलोनी के बीच बचने वाले नाले में एक व्यक्ति का शव तैरता मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

राज्य में डेयरी विस्तार के लिए मुख्य परियोजनाओं को केन्द्र की सहमति

जयपुर। राज्य के डेयरी क्षेत्र में विस्तार और आरसीडीएफ के सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की परिकल्पना बहुत जल्द साकार होगी। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में जयपुर में आज हुई बैठक में सरकार ने

बैठक में सरकार ने आरसीडीएफ को 1500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने पर सैद्धांतिक सहमति दी



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक की।

आरसीडीएफ के दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण और विपणन में विस्तार होगा। आरसीडीएफ में वर्तमान में संकलित हो रहे 45 लाख लीटर प्रतिदिन को बढ़ाकर 65 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। राज्य में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में 20 लाख लीटर प्रतिदिन की बढ़ोतरी की जायेगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूर्व में हुई दो राज्य स्तरीय बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति को मूर्त रूप देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष संख्या 1 में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार सरस

को केवल डेयरी सहकारी संस्था के रूप में नहीं बल्कि एक मजबूत एवं व्यापक राष्ट्रीय डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने राजस्थान में सरस आउटलेट एवं डेयरी पार्लरों का विस्तार करने, नये प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने तथा दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये।

भूमाफिया पर कार्रवाई करने वालों पर गिरी गाज, मामला डीजीपी तक पहुंचा

जयपुर। राजधानी के टॉक रोड स्थित वसुंधरा कॉलोनी में करीब 100 करोड़ रूपए मूल्य की एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई होने से मामला तूल पकड़ गया है। भूमाफिया और हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ कार्रवाई करने वाली बजाज नगर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एसीपी मालवीय नगर, एसीपी सदर और बजाज नगर थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बजाजनगर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार वसुंधरा कॉलोनी में सत्यनारायण मीणा की करीब एक बीघा भूमि पर बनी दुकानों और मकानों पर 30 मार्च 2026 को भूमाफिया आशीष अग्रवाल ने अशोक नगर थाने के हिस्ट्रीशीटर कपिल शर्मा और उसके साथियों के जरिए कथित रूप से ताले तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया। शिकायत मिलने पर मालवीय नगर एसीपी के निर्देशन में बजाज नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और तीन लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में हिस्ट्रीशीटर कपिल शर्मा

100 करोड़ रूपए मूल्य की एक बीघा भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर ही कार्रवाई होने से मामला

भी शामिल था। पुलिस को इस कार्रवाई को प्रारंभिक तौर पर प्रभावी माना गया, लेकिन बाद में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कार्रवाई की प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकताओं को लेकर आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया। सूत्रों के अनुसार इसी घटनाक्रम के बाद पुलिस आयुक्त ने बजाज नगर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया, जिससे पुलिस महकमे में हलचल मच गई।

वहीं मामला अब डीजीपी स्तर तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं।